कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :– 01/यो0ब0–23/2016– 1020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर।

दिनांक :–28/07/2016

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगीनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से), मधु प्रसंस्करण की स्थापना, साल पत्तल बनाने हेतु एवं रीजन स्तर/प्रमंडल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरुप परिसंपतियों के सृजन एवं वनभूमि के अन्दर पलास वृक्षों का चिन्हाकन का अग्रिम कार्य कार्य के लिए कुल 344.722 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख बहत्तर हजार दो सौ) रुपये मात्र की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–36/2016–22 व0प0 दिनांक 08.07.2016 एवं आ0आ0संख्या–4/यो0बजट–36/2016–55 अ0व0प0 दिनांक 14.07.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (रंगीनी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से), मधु प्रसंस्करण की स्थापना, साल पत्तल बनाने हेतु एवं रीजन स्तर/प्रमंडल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट

कार्य हेतु प्रेरणा स्वरुप परिसंपतियों के सृजन एवं वनभूमि के अन्दर पलास वृक्षों का चिन्हाकन का अग्रिम कार्य कार्य के लिए **कुल 344.722 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख बहत्तर हजार दो सौ) रुपये** मात्र राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–36/2016–22 व0प0 दिनांक–08.07.2016 एवं आ0 आ0 संख्या–4/यो0बजट–36/2016–55 अ0व0प0 दिनांक–14.07.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख में)
1	2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601789090103	51.151
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789090323	289.495
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601789090335	4.076
कुल आवंटित राशि				**344.722**

अर्थात् कुल **344.722 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख बहत्तर हजार दो सौ) रुपये** मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि **344.722 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख बहत्तर हजार दो सौ) रुपये** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट–1(क) से 1(छ) के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

9 राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम – 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

10. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त स्थल विशेष योजनाऐं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गयी राशि तक व्यय सीमित रखी जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद र के अनुरुप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19 योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूणर्रुपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–1(क) से 1(छ) कार्य दर अनुलग्नक–2 एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19 योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूणर्रुपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–1(क) से 1(छ) कार्य दर अनुलग्नक–2 एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–23/2016–** 1020 राँची, दिनांक :– **28.07.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19 योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूणर्रुपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–1(क) से 1(छ) कार्य दर अनुलग्नक–2 एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–23/2016–** 1020 राँची, दिनांक :– **28.07.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–23/2016–** 1020 राँची, दिनांक :– **28.07.2016**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, चतरा/कोषागार पदाधिकारी, कोड़रमा/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Allotment DDO\SCSP\MFP. 4

अनुलग्नक– 1 (क)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन'' योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेश घटक योजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				4.841	**4.155**	**0.510**	**9.506**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
3	बोकारो वन प्रमंडल, बोकरो	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल,	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
6	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
7	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
8	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	125	12500	4.841	4.155	0.506	9.502
योग :–		**1000**	**100000**	**38.728**	**33.240**	**4.076**	**76.044**

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत मधु प्रसंस्करण की स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर	पलामू जिला के हेनार ग्राम में मधु प्रसंस्करण उपकरण की स्थापना	0.000	4.000	4.000
		योग :–	**0.000**	**4.000**	**4.000**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत साल पत्तल बनाने हेतु प्रसंस्करण की स्थापना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vii
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साल पत्तल निर्माण हेतु प्रसंस्करण की स्थापना संग्रहण तथा विपणन/प्रशिक्षण	1.000	13.418	14.418
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साल पत्तल निर्माण हेतु प्रसंस्करण की स्थापना संग्रहण तथा विपणन/प्रशिक्षण	1.000	13.418	14.418
		योग :–	**2.000**	**26.836**	**28.836**
		सकल योग :–	**2.000**	**30.836**	**32.836**

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक– 1(घ)

रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपतियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम–7.5 लाख रुपये, द्वितीय–5.00 लाख रुपये एवं तृतीय–4.00 लाख रुपये कुल 16.50 लाख रुपये प्रति रीजन) एवं प्रशिक्षण का कार्य

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी/भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण (हजारीबाग रीजन हेतु)	1.000	15.500	**16.500**
2	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण (बोकारो रीजन हेतु)	1.000	15.500	**16.500**
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण (पलामू रीजन हेतु)	1.000	15.500	**16.500**
	योग :–		**3.000**	**46.500**	**49.500**

अनुलग्नक– 1(च)

प्रमंडल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपतियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम–5.00 लाख रुपये, द्वितीय–4.00 लाख रुपये एवं तृतीय–3.00 लाख रुपये कुल 12.00 लाख रुपये प्रति वन प्रमंडल) एवं प्रशिक्षण का कार्य

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	0.571	11.429	**12.000**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	0.571	11.429	**12.000**
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	0.571	11.429	**12.000**
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	0.571	11.429	**12.000**
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	0.571	11.429	**12.000**
6	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	0.571	11.429	**12.000**
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	0.571	11.429	**12.000**
8	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	0.571	11.429	**12.000**
9	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	0.571	11.429	**12.000**
10	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	0.571	11.429	**12.000**
11	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	0.571	11.429	**12.000**
12	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	0.571	11.429	**12.000**
13	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	0.571	11.429	**12.000**
	योग :–	**7.423**	**148.577**	**156.000**
	सकल योग :–	**10.423**	**195.077**	**205.500**

20/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की ज़ानेवाली लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत वनभूमि के अन्दर पलास वृक्षों का चिन्हाकन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (3 रु0 प्रति वृक्ष)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	77800	0.000	2.334	**2.334**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	77800	0.000	2.334	**2.334**
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	77800	0.000	2.334	**2.334**
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हज़ारीबाग	77800	0.000	2.334	**2.334**
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	77800	0.000	2.334	**2.334**
6	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	77800	0.000	2.334	**2.334**
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	77800	0.000	2.334	**2.334**
8	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	77800	0.000	2.334	**2.334**
9	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	77800	0.000	2.334	**2.334**
10	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	77800	0.000	2.334	**2.334**
11	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	77800	0.000	2.334	**2.334**
12	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	77800	0.000	2.334	**2.334**
13	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	77800	0.000	2.334	**2.334**
	योग :–	**1011400**	**0.000**	**30.342**	**30.342**

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षो का चिह्नांकन	रू० 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	**0.331**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.331**	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे 5–5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट –2 के वृक्षों की कटाई–छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट–1 के 6250 वृक्षों की कटाई–छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट–2 के वृक्षों की कटाई–छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.770			**2.770**	6250 वृक्ष	3.186			**3.186**					**0.000**	**5.956**	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि0ग्रा0 प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि0ग्रा०					**0.000**	6250 वृक्ष		12.500		**12.500**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				**0.000**	**12.500**	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.796			**0.796**	6250 वृक्ष	0.916			**0.916**	**1.712**	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट–2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट–1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					**0.000**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	**3.750**	

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0								7.500		7.500					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.637			0.637	6250 वृक्ष	0.733			0.733	1.370	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल योग–			*4.841*	*3.969*	*0.510*	*9.320*		*8.099*	*23.625*	*0.250*	*31.974*		*5.129*	*3.625*	*0.250*	*9.004*	*50.298*	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost			0.186		0.186			0.639		0.639			0.180		0.180	1.005	
	सकल योग–			4.841	4.155	0.510	9.506		8.099	24.264	0.250	32.613		5.129	3.805	0.250	9.184	51.303	

28/7/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020

दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48141	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	641,200.00 रुपये छः लाख इकतालीस हजार दो सौ
2	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48142	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	641,200.00 रुपये छः लाख इकतालीस हजार दो सौ
3	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48143	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	57,100.00 रुपये सत्तावन हजार एक सौ

योग: 1,339,500.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख उनचालीस हजार पाँच सौ

Chauhan 28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date: 28/7/2016

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020

दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48145	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	641,200.00 रुपये छः लाख इकतालीस हजार दो सौ
5	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48146	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	541,200.00 रुपये पाँच लाख इकतालीस हजार दो सौ
6	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48147	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	157,100.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार एक सौ
7	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48148	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	57,100.00 रुपये सत्तावन हजार एक सौ

योग: 1,396,600.00

क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख छत्तीस हजार एक सौ 2,736,100.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 28/7/2016

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020

दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48149	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	57,100.00 रुपये सत्तावन हजार एक सँ
9	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48150	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	541,200.00 रुपये पाँच लाख इकतालीस हजार दो सँ
10	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48151	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	641,200.00 रुपये छः लाख इकतालीस हजार दो सँ
11	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48152	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	57,100.00 रुपये सत्तावन हजार एक सँ

योग: 1,296,600.00

क्रमिक योग: रुपये चालीस लाख बत्तीस हजार सात सौ 4,032,700.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

172.16.20.1

Run Date 28/7/2016

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020 दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48153	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	541,200.00 रुपये पॉच लाख इकतालीस हजार दो सौ
13	P 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	48154	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	541,200.00 रुपये पॉच लाख इकतालीस हजार दो सौ
14	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48155	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	3,133,600.00 रुपये इकतीस लाख तैतीस हजार छः सौ
15	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामग्री	48156	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,133,600.00 रुपये इकतीस लाख तैतीस हजार छः सौ

योग: 7,349,600.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तेरह लाख बयासी हजार तीन सौ 11,382,300.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48157	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,376,300.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार तीन सै
17	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48158	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	3,341,800.00 रुपये तैतीस लाख इकतालीस हजार आठ सै
18	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48159	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	1,791,800.00 रुपये स त्र ह लाख इनकानवे हजार आठ सै
19	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48160	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,926,300.00 रुपये उन्तीस लाख छब्बीस हजार तीन सै

योग: 9,436,200.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड आठ लाख अठारह हजार पॉच सौ 20,818,500.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48161	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,376,300.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार तीन सौ
21	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48162	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,376,300.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार तीन सौ
22	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48163	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,791,800.00 रुपये स त्र ह लाख इनकानवे हजार आठ सौ
23	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48164	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	3,341,800.00 रुपये तैतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ

योग: 7,886,200.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सित्यासी लाख चार हजार सात सौ 28,704,700.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020 दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48165	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,376,300.00 रुपये तेरह लाख छहत्तर हजार तीन सौ
25	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48166	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,791,800.00 रुपये स त्र ह लाख इनकानवे हजार आठ सौ
26	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48167	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,791,800.00 रुपये स त्र ह लाख इनकानवे हजार आठ सौ
27	P 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48169	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T .MEDININAGAR	400,000.00 रुपये चार लाख

योग: 5,359,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड चालीस लाख चौसठ हजार छः सौ 34,064,600.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 28/7/2016

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020 दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48170	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	51,000.00 रुपये इकावन हजा
29	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48171	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	51,000.00 रुपये इकावन हजा
30	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48172	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	51,000.00 रुपये इकावन हजा
31	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48173	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	51,000.00 रुपये इकावन हजा

योग: 204,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बयालीस लाख अडसठ हजार छः सौ 34,268,600.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/yb-23/2016/1020 दिनांक - 28-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48175	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEI	50,600.00 रुपये पचास हजार छः सौ
33	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48176	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	51,000.00 रुपये इकावन हजार
34	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48177	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	51,000.00 रुपये इकावन हजार
35	P 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	48178	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	51,000.00 रुपये इकावन हजार

योग: 203,600.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड चवालीस लाख बहत्तर हजार दो सौ 34,472,200.00

28/7/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND